

पीठासीन अधिकारी :- प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या – 01/2013

दिनांक 13.09.2021

अपीलांट अधिवक्ता बृजलाल चाहर अनुपस्थित आज तक अपीलांट द्वारा प्राथमिक आपत्ति का जवाब नहीं दिया गया है। इसलिए जवाब का मौका खत्म किया जाकर प्राथमिक आपत्ति पर फैसला किया जाना जायज है।

रेस्पोंडेन्ट सं० 1 द्वारा यह कथन किया गया है कि क्योंकि इंतकाल सं० 15/31.8.12 तहसीलदार के निर्णय, वसीयत प्रकरण 09/12 का 11.7.12 की पालना में दर्ज किया गया था। इसलिए वसीयत प्रकरण के फैसले को निरस्त किए बिना इंतकाल खारिज नहीं किया जा सकता। लेकिन अपीलांट द्वारा उस निर्णय को सक्षम अदालत में चुनौती ही नहीं दी गई है। इसलिए वर्तमान अपील ससटेनेबल नहीं है।

अदालत की राय में उक्त आपत्ति जायज है। इस आधार पर अपील खारिज की जाती है। इसके साथ 15.01.2013 की विवादित जमीन के सिलसिले में जारी किया गया। स्टे ऑर्डर भी खारिज किया जाता है।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

